न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1588–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–07–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 360/2009–10/अपील

1–वचनसिंह पुत्र धारासिंह
2–सतनामसिंह पुत्र धारासिंह
3–रंजीतसिंह पुत्र चन्दनसिंह
निवासीगण ग्राम सरनागत तहसील डबरा जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदर तहसील डबरा जिला ग्वालियर
2–लखवीर सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह,
3–बखतोर सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह
निवासीगण ग्राम सरनागत, तहसील डबरा जिला ग्वालियर

.....तरतीवी अनावेदकगण

4–लखविन्दरसिंह पुत्र बक्शी सिंह
5–हरदयाल सिंह पुत्र बक्शीसिंह
6–मु.सिरमन कौर वैवा बक्शीसिंह
7–सुखचेनसिंह पुत्र वचनसिंह
8–हीरासिंह पुत्र वचनसिंह
9–मंगलसिंह पुत्र बलविन्दरसिंह
10–गुरमुख सिंह पुत्र श्री बलविन्दरसिंह
11–जसवीर कौर बेवा आत्मासिंह
12–दाताराम पुत्र लक्ष्मण जाटव
13–मानसिंह पुत्र लक्ष्मण जाटव
14–गुरमेलसिंह पुत्र कश्मीरसिंह
15–गुरूशेरा ग्राम सरनागत द्वारा प्रबंधक गुरूद्वारा ग्राम सरनागत
16–धीरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
17–मक्खनसिह पुत्र महेन्द्रसिंह
18–गुरूदयाल पुत्र कश्मीरसिंह
19–गुरूदयाल पुत्र कश्मीरसिंह
20–दीदारसिंह पुत्र हरनामसिंह

21–बलविन्दरसिंह पुत्र करतारसिंह
22–सुखविन्दरसिंह पुत्र करतारसिंह
23–मेजरसिंह पुत्र करतारसिह
24–कश्मीरसिंह पुत्र पालसिंह
25–मंगलसिंह पुत्र दर्शनसिंह
26–दिलबाग सिंह पुत्र दर्शनसिंह
27–जागीरसिंह पुत्र पालसिंह
28–गुरदयाल पुत्र कश्मीरसिंह
29–करतारसिंह पुत्र इंदरसिंह
30–अजीत सिंह पुत्र इंदरसिंह
31–सुखदेवसिंह पुत्र धारासिहं
32–चंदनसिंह पुत्र बंतासिंह
33–गुरमेजसिंह पुत्र धरासिंह
34–रंजीतसिंह पुत्र बंतासिंह
35–दर्शनसिंह पुत्र चन्दनसिंह
36–मुखत्यारसिंह पुत्र सुखविन्दरसिंह
37–हीरासिंह पुत्र प्यारासिंह
38–परमजीतसिंह पुत्र धारासिंह
39–जगतारसिंह पुत्र सुखविन्दरसिंह
40–कुलदीपसिंह पुत्र बलवीरसिंह
41–हरदीपसिंह पुत्र बलवीरसिंह
42–हरजीत कौर वेवा बलबीरसिंह
43–दीप कौर पुत्री बलवीर सिंह
44–सतनामसिंह पुत्र धरासिंह
45–सरमनसिंह पुत्र चन्दनसिंह
46–प्यारासिंह पुत्र दिलीप सिंह
47–जसवीरसिंह पुत्र चन्दनसिंह
48–संतोष सिंह पुत्र चन्दनसिंह
49–अमरीकसिंह पुत्र दिलीप सिंह
50–सुच्चसिंह पुत्र दिलीप सिंह
51–बुद्धसिंह पुत्र सुच्चासिंह
52–दिलबागसिंह पुत्र सुच्चासिंह
53–बलविन्दरसिंह पुत्र सुच्चासिंह
54–कमजीत नाबालिग पुत्र लखबीरसिंह
सरपरस्त पिता लखबीरसिंह
55–चरनजीत नाबालिग पुत्र लखबीरसिंह
सरपरस्त पिता लखबीरसिंह
56–सुखजीतसिंह नाबालिग पुत्र बख्तोरसिंह
सरपरस्त मॉ हरिवन्दर कौर

57– रामशेरसिंह नाबालिग पुत्र बख्तोरसिंह
सरपरस्त मॉ हरिवन्दर कौर
58–रवीन्द्रसिंह नाबालिग पुत्र संतोषसिंह
59–कोका पुत्र समलिया
60–मुन्नी पुत्र समलिया
61–हरप्रसाद हुकुमा पुत्र सिंह जाटव
62–गंगाराम हुकुम पुत्र सिंह जाटव
63–जसवंतसिंह पुत्र चन्दनसिंह
64–संतोषसिंह पुत्र चन्दनसिंह
65–सुखविन्दरसिंह पुत्र गुरनामसिंह
66–गुरदयालसिंह पुत्र गुरनामसिंह
67–हरपेजसिहं पुत्र गुरनामसिंह
68–मोहनसिह पुत्र अर्जुनसिंह
69–हरनामसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
70–अंग्रेज सिंह पुत्र अर्जुनसिंह
71–अजीतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
72–धारासिंह पुत्र हरनामसिंह
73–बचन कौर पत्नी स्वर्णसिंह
74–पालसिंह पुत्र दिलीप सिंह
75–सिधारासिंह पुत्र दिलीप सिंह
76–मधुवन पुत्र सिघारासिंह
77–कैलाशीबाई बेवा पूरनसिंह
78–गुरमेजसिंह पुत्र धारासिंह
समस्त निवासीगण ग्राम सरनागत तहसील
डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0
79–शांतिबाई पत्नी मानसिंह
80–गीताबाई पत्नी भूपेन्द्रसिंह
81–मीनाबाई पत्नी पंचम सिंह
82–रामदेई पत्नी छोटेलाल
निवासीगण ग्राम आलापुर परगना व
जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 व 3

श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, आपत्तिकर्ता

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–07–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीक्षक भू–अभिलेख एवं भू–प्रबंधन जिला ग्वालियर द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 14 दिनांक 23–5–2006 में पारित बटवारा आदेश दिनांक 17–7–2006 के विरूद्ध अपील अनावेदक कमांक 2 एवं अनावेदक कमांक 3 द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–4–2010 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–7–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि बटवारा नियमों का पालन करते हुये मौके पर कब्जे के अनुसार बटवारा सूची आहूत की जाकर और उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर बटवारा आदेश पारित किया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 3–5–16 को आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य होकर लगभग 20 वर्ष पूर्व से अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, इस कारण नामान्तरण पंजी पर दिनांक 17–7–2006 को आपसी सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(2) यदि सहमति से बटवारा किया जाता है तब सक्षम अधिकारी के समक्ष महज औपचारिकता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है ताकि सम्पूर्ण प्रकिया को कानूनी मान्यता प्राप्त हो सके ।

(3) उभयपक्ष के मध्य सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित हुआ है और बाद में मात्र बदनियति से अनावेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है ।

(4) अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–2006 के विरूद्ध प्रथम अपील 30–11–07 को प्रस्तुत की गई थी, जो कि अवधि बाह्य थी ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है जिसमें हस्तक्षे का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संहिता की धारा 178 में बने बटवारा नियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रकिया का पालन नामान्तरण पंजी पर किया जाना संभव नहीं है, अतः तहसील न्यायालय का आदेश अधिकारिता रहित आदेश होने से उसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई है ।

6/ आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा बटवारे में मिली भूमि का विकय कर दिया गया है, इसलिये उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ।

7/ निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 में बने नियमों के अन्तर्गत विधिवत् फर्द बटवारा मॅगाई जाकर उस पर आपत्ति आमंत्रित करते हुये उनके निराकरण के पश्चात् बटवारा आदेश पारित किया जा सकता है और उक्त कार्यवाही नामान्तरण पंजी पर होना संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त नामान्तरण पंजी पर बटवारे में सहमति स्वरूप सभी सह–खातेदारों के

हस्ताक्षर भी नहीं है । स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त कर प्रकरण विधिवत् कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–07–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

9/ यह आदेश प्रकरण कमांक 1688–पीबीआर/2011 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर